राँची समाहरणालय, राँची

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची।

लोक प्राधिकार 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,रांची' के कार्य एवं दायित्व संबंधी सूचना

संकल्प- ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वागीण विकास के साथ-साथ ग्रामवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना एवं ग्रामीण विकास के विभिन्न पैमानों यथा छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करना, ऋण एवं अनुदान के द्वारा ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, बुनियादी ढांचे का निर्माण, बंधुआ मजदूरी से मुक्त श्रमिकों एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों के लिए आवासों का निर्माण, जल संग्रहण संरचना, सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रों में जलसंग्रहण संरचना का विकास,सड़क/पुल पुलिया का निर्माण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह का निर्माण इत्यादि के क्षेत्र में उच्च स्तर पर पहुँचाना है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का सरकारी प्रशासनिक ढांचा निम्न प्रकार है:-

1. उपायुक्त - अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त-उपाध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
3. निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन
4. सहायक परियोजना पदाधिकारी
5. लेखा पदाधिकारी
6. प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य:-

जिला क्षेत्र के सभी सांसद एवं विधायकगण तथा मनोनीत लोक सभा एवं राज्य सभा सदस्य।

कार्यालय प्रधान एवं प्रधान सहायक सभी कार्यालय कर्मचारियों को बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियमों के नियंत्रण में कार्य सम्पादन करना होता है।

योजना कार्य प्रखण्डों में संपादित किये जाते है। अभिलेखों के साथ मापी पुस्त, मॅस्टर रोल, योजना प्राक्कलन, कार्यादेश आदि संलग्न किये जाते है। ये सभी अभिलेख एक श्रेणी में आते हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा योजनाओं का कार्यान्वियन किया जाता है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सभी सूचनाएँ www.ranchi.nic.in पर हैं।

आम जनों को सूचना देने हेतु समाचार पत्रों में सूचनाओं का प्रकाशन समय-समय पर किया जाता है तथा कार्यालय के सूचना पट्ट द्वारा सूचना आम जनों को दी जाती है।

राँची जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एक सरकारी संस्था है। प्रबंध पर्षद् में सांसद एवं विधायक सदस्य होते है। प्रबंध पर्षद् की सहमति से योजना की स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त संस्था को योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु केन्द्र सरकार से 75% एवं राज्य सरकार से 25% आवंटन उपलब्ध होता हैं। नियमानुसार योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु प्राप्त आवंटन का 75% व्यय किये जाने के पश्चात ही द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाना है। निम्नाकित योजनाओं का कार्यान्वियन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची द्वारा स्वीकृति के पश्चात प्रखण्डों एवं अन्य एजेन्सी से करवाया जाता है।

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम
2. स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना
3. दीनदयाल आवास योजना
4. इंदिरा आवास योजना
5. आई0.डब्लू0.डी0.पी0.

1. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम:-**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत ली जानी वाली योजनाएँ:-

1. जल संरक्षण एवं जल संचय
2. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण।
3. सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजना के सहित नहरों का निर्माण।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों या भूमि सुधार कार्यक्रम के लाभान्वितों को सिंचाई की सुविधाएं पहुँचाना।
5. भूमि विकास।
6. बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजना जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी।
7. गांवों में संपर्कपथों, सड़कों एवं पुलिया का निर्माण।

उद्देश्यः- अकुशल श्रम हेतु इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराना मुख्य लक्ष्य है। रोजगार मांग करने वाले अकुशल/कुशल मजदूरों के निबंधन के 15 दिनों के अंदर कार्य मांगने पर कार्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है। 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है।

योजना का चयन ग्रामसभा द्वारा पंचायत अथवा प्रखंड/पंचायत समिति के माध्यम से चयन किया जाता है।

योजना स्थल पर (फर्स्ट एड बॉक्स) या प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना अनिवार्य है।

मजदूरी का भुगतान डाकघर/ बैकों के माध्यम से किया जा रहा है।डाकघरों में श्रमिकों के लिये मात्र 15/-पंद्रह रू. के वार्षिक प्रीमीयम पर एक लाख रू. का जीवन बीमा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जनसहभागी बनाने हेतु ग्राम सभा के प्रधानों व कोषाध्यक्षों का विधिवत मनोनयन कर अधिसूचित किया गया है तथा ग्राम सभा के क्रियाकलापों के सुचारू संपादन कराने का प्रयास किया जा रहा है।

विकास कार्यो का क्रियान्वयन स्थानीय लाभुक समिति/स्वयं सीयता समूह के माध्यम से कराया जा रहा है तथा श्रमिकों के बीच से ही सात सदस्यीय निगरानी व अनुश्रवण समिति का गठन कर अनुश्रवण किया जा रहा है।

सामाजिक सहभागिता एवं पारदर्शिता बनाये रखने हेतु स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से ग्राम प्रधान, कोषाध्यक्ष, साक्षरताकर्मी, अन्य स्थानीय संस्थाओं, लाभुक समिति के सदस्यों व निगरानी व अनुश्रवण समिति के सदस्यों को 'सामाजिक अंकेक्षण' हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम कराया जा रहा है,ताकि 'सामाजिक अंकेक्षण' संस्थागत रूप ले सके।

जनजागरूकता हेतु ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा जिला साक्षरता समिति के 'सतत् शिक्षा' कार्यक्रम के माध्यम से सभी गांवों में 'ग्रामीण पुस्तकालय' की स्थापना कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम व अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम को पारदर्शी रखने हेतु तकनीकी प्राक्कलन, स्वीकृत्यादेश, लाभुकों की सूची कार्यदिश, कार्ययोजना व समय-समय पर निर्गत आदेशों व निदेशों को ranchi.nic.in के एन॰ आर॰ ई॰ जी॰ ए॰ कॉलम में प्रदर्शित किया गया है।

6. **स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजनाः-** जिला स्तर पर जिला अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में जिला एस. जी.एस.वाई. कमिटी होती है। यह कमिटी महीने में एक बार बैठक करके एस.जी.एस.वाई. की प्रगति का पुनरावलोकन करती है। जिला स्तर पर एस.जी.एस.वाई कमिटी की संरचना इस प्रकार है:-

1. जिलाधिकारी/प्रमुख कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष
2. नावार्ड के डी डी एम - सदस्य
3. क्रियान्वयन करनेवाले बैकों के जिला स्तरीय समन्वयक - सदस्य
4. जिला स्तर के विभागों से संबंधित प्रखण्डों के साथ महिला कल्याण/अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण/विकलांग कल्याण आदि जिला प्रभारी - सदस्य
5. डी आई सी के महाप्रबंधक - सदस्य
6. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक - सदस्य
7. अग्रणी बैंक प्रबंधक - संयोजक

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में एस.जी.एस.वाई के तहत प्राप्त राशि में से निम्नाकित मदवार द्वारा निर्धारित है।

1. प्रशिक्षण - 10%
2. आधार भूत संरचना - 20%
3. स्वयं सहायता समूहों के चक्रीय निधि - 10%
4. आर्थिक गतिविधियों के लिए सब्सिडी - 60%

1. प्रशिक्षण मद से निम्न संस्थाओं को कार्य दिया गया है:

- बैंक फाउण्डेशन
- शांति निकेतन अम्बेदकर बुद्धिष्ठ वेलफेयर
- आर्ट एण्ड आर्टिस्ट सोसाइटी
- जेट्रोफा की खेती, मशरुम, फुड प्रोसेसिंग, बम्बू क्राफ्ट आदि का प्रशिक्षण उपरोक्त संस्था द्वारा प्रखण्डों से दिया जा रहा है।

2. <u>आधार भूत संरचना</u>– एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत किसान भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र निर्धारण का कार्यान्वयन एन.आर.ई.पी.–2 द्वारा किया जा रहा है जो निम्नलिखित है–

क	प्रखण्ड	एजेन्सी	योजना	प्रा० राशि
1	कांके	NREP-1	किसान भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र निर्माण	21.417
2	नामकुम	NREP-2	किसान भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र निर्माण	21.417
3	चान्हो	NREP-2	किसान भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र निर्माण	21.417
4	कर्रा	NREP-2	किसान भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र निर्माण	21.417
5	रातु	NREP-1	पतराटोली में एच.एच.जी. वर्किंग शेड	0.476
6	माण्डर	NREP-1	किसान भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	21.417
7	बेड़ो	NREP-2	खक्खी टोली में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी स्मारक व टाना भगत मूर्ति की घेराबन्दी	1.364
8	बेड़ो	NREP-2	खक्खी टोली में खादी प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	4.698

स्वयं सहायता समूहों को चक्रीय निधि एवं अनुदान राशि एस.जी.एस.वाई के अंतर्गत अनुदान राशि बैंक के माध्यम से एस.एच.जी. को दिया गया है।

<u>इंदिरा आवास योजना</u>

<u>उद्देश्य:</u> अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासीय इकाईयों का निर्माण तथा रहने अयोग्य कच्चे मकानों के उन्नयन हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराना है।

<u>कार्य:</u> अनुसूचित जाति/जनजाति के मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करना तथा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण व्यक्तियों को अनुदान मुहैया कराकर मदद करना। इसके अन्तर्गत इंदिरा आवास के निर्माण हेतु 25,000/– तथा कच्चे मकान से उन्नयन हेतु 12,500/– देने का प्रावधान है। आवंटित राशि का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए, 3 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों के आवास निर्माण एवं उन्नयन हेतु कर्णांकित है।

<u>दीन दयाल आवास योजना</u>

<u>उद्देश्य:</u> दीन दयाल योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासीय इकाईयों का निर्माण कराना है।

<u>कार्य:</u> अनुसूचित जाति/जनजाति के मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करना तथा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण व्यक्तियों को अनुदान मुहैया कराकर मदद करना। इसके अन्तर्गत इंदिरा आवास के निर्माण हेतु 25,000/– आवंटित राशि का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए 3 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों के आवास निर्माण एवं उन्नयन हेतु कर्णांकित है।

<u>जलछाजन योजना</u>

<u>उद्देश्य:</u> समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई० डब्ल्यू० डी० पी०) तथा सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र के विकास के लिए जल प्रबंधन, जन संसाधनों का विकास एवं प्राकृतिक संतुलन बनाकर ग्रामीण लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।

<u>कार्य:</u> कम लागत के फार्म, तालाबों, नाला, बाँधों, चेकडैम, छोटे जल संग्रहण ढांचों का विकास, नर्सरी लगाना, वृक्षारोपण, कृषि वानिकी एवं बागवानी आदि कार्य इसके अन्तर्गत शामिल है।

<u>कार्यान्वयन:</u> इस योजना का कार्यान्वियन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से करती है।

<u>लाभान्वित:</u> बंजर/सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रों के सभी ग्रामीण इस योजनान्तर्गत लाभान्वित हो सकते हैं।

<u>चयन की प्रक्रिया:</u> पंचायती राज संस्थाओं सहित कोई सरकारी एजेंसी/गैर सरकारी संगठन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद् के समक्ष परियोजना प्रस्ताव समर्पित कर अनुमोदनोपरांत योजना कार्यान्वित कर सकती है। इस योजनान्तर्गत प्रखण्ड खूँटी एवं माण्डर में कार्य किया जा रहा है।

<u>सूचना का अधिकार</u>

1. **अपीलीय पदाधिकारी का नाम** – श्री एम. पी. दास, उप विकास आयुक्त, राँची।
2. **जन सूचना पदाधिकारी** – सुश्री उमा शशि चटर्जी, निदेशक डी आर डी ए राँची।
3. **सहायक जन सूचना पदाधिकारी** – श्री शकील जब्बार, सहायक परियोजना पदाधिकारी, राँची।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के मासिक समाचार पत्र ''आपन राँची'' का प्रकाशन किया जाता है, जो ranchi.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,रांची -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम से भी किसी प्रकार की जानकारी हेतु dcranchi@jharkhand.gov.in पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है।